राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

सिटीजन चार्टर बनाये जाने के सम्बंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अधिनियम की धारा-4(1)बी में उल्लिखित बिन्दुओ के अनुरूप राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यायल के सम्बंध में सूचना।

(4) लोक प्राधिकारियों की बाध्यताये-1 प्रत्येक लोक अधिकारी (क) अपने सभी अभिलेखो को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्व ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है। और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्ति-युक्त समय के भीतर है और संसाधनो की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्व है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुच को सुकर बनाया जा सके।	**पुलिस की वेबसाइट पर राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ की सूचनाये उपलब्ध है।**
(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन के एक सौ बीस दिन के भीतर (I) अपने संगठन विशिष्टियाॅ कृत्य और कर्तब्य	राजकीय रेलवे पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में जीआरपी मैनुअल 1942 के पैरा- 3 के अनुसार करना पड़ता है। जो निम्नलिखित है:- **‘‘राजकीय रेलवें पुलिस के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रों के सम्बंध में उसके कर्तव्य सामान्यतः जिला पुलिस के प्रभार के अंतर्गत क्षेत्रों में उसके कर्तव्य के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त राजकीय रेलवे पुलिस के निम्नलिखित कर्तब्य है:-** **1-** रेलवें स्टेशनो पर और गाड़ियों मे व्यवस्था बनाये रखना। शब्द ‘‘व्यवस्था’’ के अंतर्गत निम्नलिखित विशेष कर्तव्य है:- **(क)** स्टेशन परिसर के भीतर विशेष रूप से प्लेटफार्मो पर, टिकटघरों में, मुसाफिरखानों में, प्रवेश करने और निकलने के फाटकों पर तथा संकटकाल में स्टेशन अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से, जहाॅ कही अपेक्षित हो, मुसाफिरों के यातायात का नियंत्रण करना। **(ख)** स्टेशन की सीमाओं के भीतर वाहन तथा अन्य यातायात का नियंत्रण करना।

	(ग) स्टेशनों पर रूकने वाली सवारी गाडियों में व्यवस्था बनाये रखना तथा डिब्बों में अधिक भीड़-भाड़ की रोक-थाम करना। **(घ)** स्टेशनों पर खड़ी भरी हुयी सवारी गाड़ियों की देख-रेख करना। **(ड.)** उत्पात करने के दोषी व्यक्यिों की गिरफ्तारी, संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को हटाना और स्टेशन के परिसर में भीख मॉगनें वालों को न आने देना। **(छ)** उन व्यक्तियों की लाश को हटाना जिनकी मृत्यु ट्रेन या स्टेशनों के परिसर में हो जाय और बीमार मुसाफिरों को अस्पताल ले जाना। **(च)** सीमान्तिक स्टेशनों पर पहुचना पर खाली डिब्बों में मुसाफिरों की छुटी हुई सम्पत्ति के लिए उनकी जॉच करना और डिब्बों का निरीक्षण यह देखने के लिए करना कि उनमें की गयी फिटिंग से किसी ने छेड-छेाड़ तो नही की है। **2**- रेलवे एक्ट के अधीन किये गये अपराधों और रेलवें कर्मचारी वर्ग द्वारा किये गये कपट अथवा दमन के मामलों की सूचना उचित रेलवे या सिविल प्राधिकारियों को देना। **3**- वर्तमान समय में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा समय-2 पर आयोंजित जन सभायें, रैलिया, धरना प्रदर्शन, भारत बंद, प्रदेश बंद, का आहृवान आदि पर होने वाली अत्यधिक भीड़ को नियंत्रण करना तथा वर्तमान परिवेश में नक्सली गतिविधियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों, आतकंवादी गतिविधियों में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करना हैं।
(II)अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तब्य-	उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या43781/छ:-पु0-से002-512(2)/91 दिनॉक 01.08.1991 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ का पद सृजित किया गया है तथा शासनादेश सख्ंया-3886/छ:-पु0से0-2-99-522(5)/84 दि0 22.10.1999 के द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया, शासनादेश संख्या-1952(2)/आ0-पु0से0-2-522(5)/84 दिनॉक 19.8.1987 द्वारा क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षको के कर्तब्य, उत्तरदायित्व एवं अधिकारो का निर्धारण किया गया है।
(III)विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व में माध्यम से सम्मिलित है-	राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नीति के अनुसार किया जाता है।
(IV) अपने कृत्यो के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-	राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के अधीनस्थ अनुभागो/परिक्षेत्र/जोनो द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर शासन की नीति /प्रक्रिया के अनुसार निर्णय किया जाता है, एवं तदनुसार कार्यवाही हेतु अनुभागों/परिक्षेत्र/जोनो के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये जाते है।
(V) अपने द्वारा या अपने नियंत्रण धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम,	राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ का मुख्य कार्य यही है कि अपने अधीनस्थ अनुभागो/परिक्षेत्रो/जोनो द्वारा किये जा रहे कार्यो में नीति/नियम/प्रक्रिया एवं शासन के आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रचलित नियमावली :-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियो की कर्मचारी

विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	आचरण नियमावली-1956 व (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991
(VI) ऐसे दस्तावेजो के जो, उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण-	राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के अभिलेखो का कोई श्रेणीकरण नही है, परन्तु उसके अधीनस्थ अनुभागो में अभिलेख का रख-रखाव ईकाईवार/शाखावार अलग-2 किया जाता हैं ।
(VII) किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विधमान है-	राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ और जनता के बीच सीधा सम्पर्क नही है, परन्तु उसके अधीनस्थ अनुभागो का जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
(VIII) ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमे दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे मे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है क्या उन बोर्डो परिषदो, समितियो, और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी, विवरण-	राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के स्थानान्तरण/नियुक्ति/साइटेशरन हेतु जीआरपी में गठित बोर्ड/कमेटी का गठन किया गया है। यधपि आवश्यकता पड़ने पर अधीनस्थ अनुभागो/परिक्षेत्र/जोनो के प्रभारी से विचार विमर्श हेतु गोष्ठी/मीटिंग आयोजित की जाती है। चूकि पुलिस विभाग की सूचनाये गोपनीय होती है। अतः सभी सूचनाये जनता के प्रयोगार्थ रखा जाना उचित प्रतीत नही होता हैं ।

(IX) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

क0स0	नियतन	पद नाम
1	01	पुलिस महानिदेशक रेलवे/ अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे
2	02	पुलिस महानिरीक्षक रेलवे
3	02	पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे
4	06	पुलिस अधीक्षक रेलवे
5	14	पुलिस उपाधीक्षक रेलवे
6	01	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
7	12	अभियोजन अधिकारी
8	15	प्रभारी निरीक्षक
9	07	प्रतिसार उ0नि0
10	38	उ0नि0स0पु0
11	366	उ0नि0ना0पु0
12	48	हे0कां0स0पु0
13	02	मु0आ0 आरमोरर
14	02	हे0का0एम0टी0
15	581	हे0कां0ना0पु0
16	343	कां0स0पु0
17	02	आ0 आरमोरर
18	01	आ0 बिगुलर
19	01	आ0एम0टी0
20	4029	कां0ना0पु0
21	17	कां0टी0पी0
22	88	कां0 चालक
23	02	निरीक्षक(एम) गोपनीय सहायक
24	06	उ0नि0(एम) गोपनीय सहायक
25	01	निरीक्षक(एम) प्रधान लिपिक
26	28	उ0नि0(एम)
27	88	सहायक उ0नि0(एम)

<table>
<tr><td>(X) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके निनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलत है।-</td><td>राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान का विवरण
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>पद नाम</th><th>वेतनमान</th></tr>
<tr><td>1</td><td>पुलिस महानिदेशक रेलवे/ अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे</td><td>67000-79000 एचएजी</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पुलिस महानिरीक्षक रेलवे</td><td>37400-67000 ग्रेड पे 10,000/-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे</td><td>37400-67000 ग्रेड पे 10,000/-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पुलिस अधीक्षक रेलवे</td><td>15600-39100 ग्रेड पे 6600/-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पुलिस उपाधीक्षक रेलवे</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी</td><td>15600-39100 ग्रेड पे 6600/-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>अभियोजन अधिकारी</td><td>15600-39100 ग्रेड पे 5400/-</td></tr>
<tr><td>8</td><td>सहायक अभियोजन अधिकारी,</td><td>9300-34800 ग्रेड पे 6600/-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>पुलिस उपाधीक्षक</td><td>15600-39100 ग्रेड पे 5400/-</td></tr>
<tr><td>10</td><td>निरीक्षक ना0पु0</td><td>9300-34800 ग्रेड पे 4600/-</td></tr>
<tr><td>11</td><td>उप निरीक्षक ना0पु0</td><td>9300-34800 ग्रेड पे 4200/-</td></tr>
<tr><td>12</td><td>उ0नि0 एम /आशुलिपिक</td><td>9300-34800 ग्रेड पे 4200/-</td></tr>
<tr><td>13</td><td>उ0नि0एम/आंकिक/प्रधान लिपिक</td><td>9300-34800 ग्रेड पे 4200/-</td></tr>
<tr><td>14</td><td>सहायक उ0नि0 एम</td><td>5200-20200 ग्रेड पे 2800/-</td></tr>
<tr><td>15</td><td>मुख्य आरक्षी</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>आरक्षी</td><td>5200-20200 ग्रेड पे 2000/-</td></tr>
<tr><td>17</td><td>चतुर्थ श्रेणी</td><td>5200-20200 ग्रेड पे 1800/-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(XI) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययो और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टिया, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट-</td><td>लेखा शीर्षक कोड 2055-00-111-03-00</td></tr>
<tr><td>(XII) सहायिकी कार्यक्रमो के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमो के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है-</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>(XIII) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयॉ-</td><td>उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।</td></tr>
</table>

(XIV) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बंध में ब्यौरे, जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो-	क्र0सं0	कार्य	कार्यवाही किस स्तर से	समयावधि
	1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	स्टाफ आफिसर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ	प्रातः 09-30 बजे से शाम 06-00 बजे तक (राजकीय अवकाश को छोड़ कर)
	2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
	3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिवस
	4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (रू0 10/- प्रथम घण्टा उसके पश्चात रूपया 05 प्रति 15 मिनट, सूचना के लिए रू0 50/- प्रति सीडी तथा छपे दस्तावेजों के वास्तविक लागत पर)	राजकीय रेलवे पुलिस उ0प्र0 लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक	विलम्बतम 30 दिवस
	5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराये जाने वाली राशि का विवरण (रू0 10/- प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निशुल्क)	राजकीय रेलवे पुलिस उ0प्र0 लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक	विलम्बतम 30 दिवस
	6	अभिलेखीय सूचना रूपया 02/-प्रति पृष्ठ	राजकीय रेलवे पुलिस उ0प्र0	विलम्बतम 30 दिवस

	की दर से लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक
(XV) सूचना अभिप्राप्त करने के नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है-	राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ में लाइब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग पुलिस कर्मियों के लिये ही सीमित है। कार्यालय आवासीय परिसर व सीमित स्थान में होने के कारण सामान्य जनता के लिये लाइब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध नही करायी गयी है।
((XVI)लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ--	जन सूचना अधिकारी मुख्यालय स्तर पर मुख्यालय राजकीय रेलवे पुलिस उ0प्र0 लखनऊ -स्टाफ आफिसर, मुख्यालय सी0यू0जी0 9454401685 अपीलीय अधिकारी का पद नाम, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।प्रत्येक अनुभाग स्तरपर- **अनुभाग-लखनऊ।** 1- जन सूचना अधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक रेलवे कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ-सी0यू0जी0-9454401696 2- अपीलीय जन सूचना अधिकारी- पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ-सी0यू0जी0- 9454400340 **अनुभाग-मुरादाबाद।** 1- जन सूचना अधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक रेलवे कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद-सी0यू0जी0 -9454401692 2- अपीलीय जन सूचना अधिकारी- पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद-सी0यू0जी0 -945440341 **अनुभाग-गोरखपुर।** 1- जन सूचना अधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक रेलवे कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर-सी0यू0जी0-9454401693 2- अपीलीय जन सूचना अधिकारी- पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर-सी0यू0जी0- 9454400397 **अनुभाग-इलाहाबाद** 1- जन सूचना अधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक रेलवे कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे इलाहाबाद-सी0यू0जी0-9454401689 2- अपीलीय जन सूचना अधिकारी- पुलिस अधीक्षक रेलवे इलाहाबाद-सी0यू0जी0 -9454400338

	<u>अनुभाग–आगरा।</u> 1– जन सूचना अधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक रेलवे कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा–सी0यू0जी0–9454401687 2– अपीलीय जन सूचना अधिकारी– पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा–सी0यू0जी0– 945400337 **<u>अनुभाग–झॉसी।</u>** 1– जन सूचना अधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक रेलवे कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे झॉसी–सी0यू0जी0–9454401688 2– अपीलीय जन सूचना अधिकारी– पुलिस अधीक्षक रेलवे झॉसी–सी0यू0जी0–9454400339
(XVII) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जो–	शून्य